भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1382

जिसका उत्तर गुरुवार, 11 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है

अप्रचलित कानूनों का निरसन और कानूनी सुधार

1382 # श्री बृज लाल :

श्री सुजीत कुमार :

श्रीमती किरण चौधरी :

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता :

श्री नारायण कोरागप्पा :

श्री मनन कुमार मिश्र :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अप्रचलित या अनावश्यक केंद्रीय अधिनियमों की पहचान कर उन्हें निरस्त करने हेतु 2024 से कोई नया अभ्यास शुरू किया है और यदि हाँ, तो ऐसे कितने अधिनियमों की पहचान की गई है ;

(ख) क्या 23वें विधि आयोग ने पुराने एवं अप्रासंगिक केंद्रीय विधानों के संशोधन, सरलीकरण अथवा निरस्तीकरण के संबंध में कोई अंतरिम सिफारिशें प्रस्तुत की हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने अधिनियमों में संशोधन, समेकन या निरसन के माध्यम से अनुपालन-भार को और कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं ;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके लिए कार्य योजना और समय-सीमा क्या है;

(च) अधिक सार्वजनिक पहुँच के लिए केंद्रीय कानून की प्रारुपण शैली को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(छ) इस संबंध में प्रशिक्षण या क्षमता निर्माण संबंधी कौन-कौन सी पहल की गई हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : सरकार ने निरसन के लिए इकहत्तर अप्रचलित और अनावश्यक अधिनियमों की पहचान की है ।

(ख) और (ग) : 23वें विधि आयोग से पुरानी केन्द्रीय विधियों का पुनरीक्षण करने, सरल बनाने या निरसित करने के संबंध में कोई अंतरिम सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(घ) और (ङ) : विधिक प्रणाली में सुधार लाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के भाग के रूप में, अनुपालन भार को कम करने, सुशासन सुनिश्चित करने और अप्रचलित और अनावश्यक विधियों के संशोधन, समेकन या निरसन के माध्यम से विधिक प्रणाली को आम आदमी के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए पहल की गई है। अनावश्यक और अप्रचलित विधियों की पहचान करने और उनके निरसन से संबंधित नवीनतम प्रक्रिया में, सरकार ने समुचित विधान द्वारा इकहत्तर अप्रचलित और अनावश्यक विधियों के निरसन करने की पहचान की है।

(च) : विधायी विभाग भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा लिए गए नीतिगत विनिश्चयों के आधार पर और भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया निर्देशिका में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार विधियों का प्रारूपण तैयार करता है। विधायी विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय कर रहा है कि विधायी प्रारूपण सरल, सादा, यथावत् और स्पष्ट हो।

(छ) : विधायी विभाग विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान, विधायी विभाग द्वारा संचालित अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से अधिक जन-सुलभ बनाने के लिए केन्द्रीय विधान की प्रारूपण शैली को सरल बनाने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहल करता है, जिसमें विधायी प्रारूपण का नब्बे दिन का आधारभूत पाठ्यक्रम, विधायी प्रारूपण का तीस दिवसीय आधारभूत पाठ्यक्रम (हिंदी में), अनुरोध पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए विधायी प्रारूपण और विधायी प्रारूपण में संरचित पाठ्यक्रमों का पंद्रह दिवसीय अधिमूल्यन पाठ्यक्रम सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, विधान का प्रारूपण करने में लगे सभी लोक सेवकों द्वारा उपयोग के लिए आईजीओटी पोर्टल पर सरल भाषा में प्रारूपण पर चार मॉड्यूल पाठ्यक्रमों का भी योगदान दिया गया है।
